राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट 2018

तारीख	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत बीबासर प्रकरण सं. 46 / 2014 उनवान खाजु खां बनाम गुटार वगैरह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी.	राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान - 2018
18.06.2018	यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत बीबासर मे पेश होने पर पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 31.08.2016 के द्वारा अप्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र मे वर्णित विवादित भूमि के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से व प्रार्थना–पत्र मे वर्णित तथ्यों से न्यायालय के अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 31.08.2016 को ता. फैसला दावा तक बढाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताः फैसला दावा तक पाबंद किया जाता है कि व प्रार्थना–पत्र मे विवादित भूमि बाबत मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखें व रास्ते की भूमि पर यह आदेश प्रभावी नही रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	

Scanned by CamScanner